(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 164 **नई दिल्ली 16 अक्तुबर 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा संलग्न आदेशानुसार चेन्नई पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को 30 सितम्बर 2008 से आगे विस्तार प्रदान करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास ---- आवेदक

आ दे श

(सितम्बर 2008 के 30 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास के दरमान की वैधता 30 सितम्बर 2008 तक बढ़ाते हुए 14 जुलाई 2008 को एक आदेश पारित किया था । इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) को अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए एक प्रस्ताव तुरंत दाखिल करने हेतु परामर्श दिया था ।

2. सीएचपीटी ने दिनांक 18 सितम्बर 2008 के पत्र के माध्यम से, अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया है ।

3. सीएचपीटी ने दिनांक 19 सितम्बर 2008 के अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि उसके वर्तमान दरमान की वैधता को 1 अक्तूबर 2008 से उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए पत्तन द्वारा दाखिल प्रस्ताव के अनुमोदित होने तक, विस्तार प्रदान किया जाए ।

4. अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए सीएचपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव को, सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इस प्रकरण पर निर्णय लेते हुए इस प्राधिकरण को कुछ समय तो लगेगा । अतएव, यह आवश्यक है कि सीएचपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 30 सितम्बर 2008 से आगे विस्तार किया जाए ।

5. अतएव, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर 2008 तक या, सीएचपीटी के दरमान के सामान्य संशोधन के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करने का निर्णय लेता है । तथापि, वर्तमान दरमान की वैधता को विस्तार इस शर्त के अधीन है कि ग्राह्य लागत के अतिरिक्त अधिशेष राशि और 1 अप्रैल 2008 के बाद की अवधि के लिए सीएचपीटी को प्रोद्भूत अनुमेय धनराशि अगले समय तक के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित की जाएगी, जैसाकि दिनांक 14 जुलाई 2008 के आदेश में प्रावधान किया गया है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष